12.15 hrs.

Title: Regarding permitting ultra low sulphur diesel as an alternative fuel for public transport in Delhi in view of short supply of CNG and likely rise in fares of bus and other means of public transport.

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि दिल्ली में CNG की आड़ में बसों के किराए बढ़ाने के मुद्दे को आपके आदेश से दिल्लीवासियों के दुखदर्द को इस सदन के माध्यम से सदन के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। पहले ही राजधानी दिल्ली की जनता बसों के संकट से जूझ रही है और आज 6 तारीख से एक बार फिर संकट खड़ा हो गया है। आज 6 मई से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीजल से चलने वाली बसों का जुर्माना, जो पहले 500 रुपए प्रतिदिन था, अब एक हजार रुपए प्रतिदिन हो गया है। इस जुर्माने की राशि बस यात्रियों से वसूल की जा रही हैं। अभी दिल्ली सरकार ने किरायों में बढ़ोतरी 5-10-15 रुपए एनाउंस भी नहीं की है, लेकिन बस वालों ने मिनिमम 5 रुपए किराया अपने आप बढ़ा दिया है। DTC का वार्षिक घाटा जो पहले लगभग 96 करोड़ रुपए था, उसको कम करने के लिए CNG के नाम पर और किलोमीटर सिस्टम को खत्म करके सारी बसें STA को दे दी हैं। इसका परिणाम यह है कि मासिक पास â€¦ (व्यवधान) किलोमीटर सिस्टम की बसेज को STA बसेज में कन्वर्ट किया गया है। मासिक पासेस पर पहले 8 करोड़ रुपए प्रतिमाह आता था, वह अब दो करोड़ रुपया रह गया है। पासेज पहले किलोमीटर सिस्टम में यूज होते थे।

पहली बात यह है कि CNG से संबंधित आर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुलाई, 1998 में हुआ था और दिल्ली की सरकार नवम्बर, 1998 में आई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को साढ़े तीन साल हो गए, उसके बावजूद भी डीजल और पैट्रोल के स्कूटर और बसें रजिस्टर किए जाते रहे। पिछले दिनों आपने देखा होगा, हैदराबाद की सरकार ने बिना कोर्ट के आर्डर के, लेकिन पोल्युशन दूर करने के लिए स्कूटर, टैक्सी, जो पैट्रोल या डीजल से चलती हैं, उनको रजिस्टर नहीं किया। साढ़े तीन साल तक दिल्ली के अन्दर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद डीजल की बसें रजिस्टर की जातीं रहीं। एक-दो साल पहले जिस व्यक्ति ने बैंक से लोन लेकर बस खरीदी है, अब उससे कहा जा रहा है कि वह CNG लगाए। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से दिल्ली सरकार की है। अगर CNG में गाड़िया रजिस्टर की जातीं और केन्द्रीय सरकार को इन्फार्म करते कि CNG की बसें आ रही हैं और इतना CNG चाहिए, तो उसका प्रबन्ध किया जाता। â€¦ (व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : कौन प्रबन्ध करता ?

श्री मदन लाल खुराना : केन्द्र सरकार करती । â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : आडवाणी जी, खुराना जी को मंत्री पद नहीं दे रहे हैं, इसलिए यह सब बातें कह रहे हैं। â€¦ (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : इसमें भारत सरकार का क्या रोल रहा है? CNG किसने प्रोवाइड करनी थी? स्कूटर और बसें तीन-तीन दिन तक खड़े रहते हैं। â€¦ (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आना एक दृटि से ठीक हो सकता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि ज़मीनी हकीकत के साथ सुप्रीम कोर्ट का आदेश मेल नहीं खाता। इस सदन की एक कमेटी ने भी कहा है कि CNG की मोनोपली नही होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल में इस तरह से आब्जैक्ट करेंगे, तो मैं सदन एडर्जन कर दूंगा।

इनकी बात खत्म होने पर आपको भी मौका मिलेगा।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यहां यही आपत्ति है, बीच में इंटरप्ट करते हैं।â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Madan Lal Khurana.*(Interruptions)**

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, मैंने आज आपको सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का चांस भी दिया है।â€¦ (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, प्रत्येक दिल्लीवासी चाहता है कि प्रदूाण की समस्या को हल किया जाए, लेकिन हमारी यह भी मान्यता है,â€¦ (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं।â€¦ (व्यवधान)

*Not Recorded.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, यह कितनी देर बोलेंगे। आपने जितना समय इन्हें दिया है, उतना समय हमें भी देंगे।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इनसे ज्यादा समय मिलेगा, अगर आप आराम से बैठेंगे।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आज आपको मैंने सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का चांस भी दिया है, आप थोड़ा आराम से बैठने की कृपा करें।

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, प्रत्येक भारतवासी चाहता है कि दिल्ली में प्रदूाण की समस्या हल हो, लेकिन यह मान्यता है कि केवल सीएनजी की मनोपली नहीं होनी चाहिए, मेरा इतना ही कहना है। दुनिया में किसी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है, मेरे पास आंकड़े हैं कि आज न्यूयार्क के अंदर 95 प्रतिशत बसें अल्ट्रा लो सल्फर डीजल से चलती हैं, उनके अंदर सीएनजी नहीं है। वहां केवल 4.9 प्रतिशत बसें ही सीएनजी से चलती हैं। पेरिस के महानगर में केवल दो प्रतिशत बसें सीएनजी से चलती हैं और भारत सरकार ने विशेाज्ञों की जो मालेश्वर कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है कि दिल्ली में फ्यूल, जो अल्ट्रा लो सल्फर डीजल बेहतर है, वैज्ञानिकों ने इस बारे में कह दिया।â€¦ (व्यवधान) मान लीजिए अगर मनोपली हो जाती,â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप भारत सरकार से क्या कहना चाहते हैं, यह बताएं।

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, मैं भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस हाउस की कमेटी ने भी कहा है कि मनोपली न हो और हम भी कह रहे हैं कि ये कानून लाएं। मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना है कि सीएनजी की मनोपली न हो, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल का इस्तेमाल भी हो।â€¦ (व्यवधान) यह अल्टरनेटिव हो, इसके लिए कानून लाएं।

दूसरी बात यह है कि किराए सीएनजी के कारण न बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें जो 1000 रुपया रोज फाइन देना पड़ रहा है, इसके बारे में दिल्ली गवर्नमेंट क्षतिपूर्ति करे, दिल्ली गवर्नमेंट के कारण ही ये सब हो रहा है।â€¦ (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : मैं भी खुराना जी की बात का सपोर्ट करता हूं।â€¦ (व्यवधान)

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका इसमें नाम है।

श्री लाल बिहारी तिवारी : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आपका नोटिस है तो हम आपको बोलने का समय देंगे।

डॉ. साहिब सिंह वर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, नौ लोगों ने ज्वाइंट हस्ताक्षर किए हैं।â€¦ (व्यवधान)

महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि डीजल से जो बसें चलती थीं, जितना खर्चा उस वक्त आता था और अब जो खर्चा आ रहा है,â€¦ (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : मेरा भी इसी से संबंधित मामला है।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो नोटिसेस आए हैं, उनमें आपका नाम नहीं है, फिर भी मैं आपको समय दे दूंगा।

â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मालूम है, आपने लैटर लिखा होगा। यहां जो नोटिसेस है उसके मुताबिक आपका नाम नहीं है, फिर भी मैं आपको बुलाऊंगा। अभी मैंने चतुर्वेदी जी को बुला लिया है।

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं,â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sahib Singh, I told you that I would give you the floor. I have already given the floor to Shri Satyavrat Chaturvedi. How can I give the floor to both of you together?

...(*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह सरकार जनविरोधी है और इन लोगों का कोई मोरल वैल्यू नहीं है। हम लोगों को कह रहे हैं कि हम सीएनजी का मामला दोहन करने वाले हैं।â€¦ (व्यवधान)

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : उपाध्यक्ष जी, हमने भी नोटिस दिया है।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहां कहा कि आपने नोटिस नहीं दिया है। You do not even hear me fully. Do you not want me to say anything?â€¦ (*Interruptions*)

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : क्या इन्होंने नोटिस दिया है? ये बिना नोटिस के बोल रहे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you challenging my ruling? If you are challenging it, tell me so....(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि आपको भी बुलाऊंगा। जैसे आपने नोटिस नहीं दिया है उसी तरह से इन्होंने भी नोटिस नहीं दिया है, उसमें क्या हर्ज है। â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you are casting aspersions on the Chair, I will not give you the chance. This is not the way to behave with the Chair....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sahib Singh, you will get the chance. After him, you will get the floor and at that time you say whatever you want to say. Please resume your seat now....(*Interruptions*)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के नागरिकों को पिछले दिनों आवागमन सुविधा की दृटि से जो यहां की यातायात व्यवस्था थी उसके कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात से चिंचित होंगे। यहां पर एक आरोप लगाया गया कि सारी अव्यवस्था के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। महोदय, मैं इस बात की पृठभूमि में जाना चाहता हूं और तथ्यात्मक बात करना चाहता हूं। अगर स्मरण किया जाए कि दिल्ली में जब जनता पार्टी की सरकार थी तब उसके कार्यकाल में सुप्रीम-कोर्ट ने यह निर्णय किया था कि धीरे-धीरे यहां से डीजल बसों को फेज-आउट करके सीएनजी की बसों को लाया जाएगा और डीजल की बसों को हटाया जाएगा जिससे कि दिल्ली के पर्यावरण को सुधारा जा सके। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सवाल है मैं उसके गुण-दोाों पर कोई बात यहां करना नहीं चाहता हूं। उससे किसी को सहमति और किसी को असहमति हो सकती है। लेकिन जब एक बार अदालत का आदेश आया तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने दो वर्ा तक जब एक भी कदम नहीं उठाया â€¦ (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष जी, 1998 में फैसला हुआ था, इनको शायद पता नहीं है। â€¦ (व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उस व्यवस्था को सुधारने का कोई प्रयास उनकी तरफ से नहीं हुआ और उस पर सुप्रीम-कोर्ट ने अपनी नाराजगी भी प्रकट की। उसी बीच

चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई। उसी दरमियान सुप्रीम-कोर्ट ने आदेश दिये जिसकी चर्चा आज यहां की गयी। यहां की प्रदेश सरकार ने, उसके मुख्यमंत्री ने, उसके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस बारे में अपने वक्तव्य दिये और सारी दिल्ली को बताया कि सीएनजी की जो आधारभूत संरचना होनी चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में सीएनजी सप्लाई हो सके, वह आधारभूत संरचना बनाई नहीं गयी। यह आधारभूत संरचना केन्द्र सरकार को बनानी थी। पूरा सप्लाई सिस्टम, पाइप-लाइन्स, मदर-स्टेशन्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट्स। पूरी दिल्ली में जितनी व्यवस्था बनाने की जरुरत थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिये। केन्द्र सरकार भी उसमें एक पार्टी थी। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम-कोर्ट में वचन दिया कि हम शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था बनाएंगे और पर्याप्त सीएनजी यहां उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन हम और आप रोज देख रहे हैं कि सीएनजी स्टेशनों पर 500-500, 1000-1000 गाड़ियों का काफिला रात-रात भर सीएनजी भरवाने के लिए खड़ा रहता है। उसके बाद सुप्रीम-कोर्ट ने 6 महीने से बार-बार तारीख एक्सटेंड की लेकिन केन्द्र सरकार ने कोई व्यवस्था सीएनजी की दिल्ली के अंदर नहीं की। अभी जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें केन्द्र सरकार को फटकार भी लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है और इनको जिम्मेदार ठहराया है। इनको सी.एन.जी. की पर्याप्त व्यवस्था, डिस्ट्रीब्यूशन और आधारभूत संरचना करनी थी, जो इन्होंने नहीं की है। जब केन्द्र सरकार सी.एन,जी, की व्यवस्था नहीं करेगी, आप बताइये किस आधार पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जायेगा? हर चीज के लिये राज्य सरकार पर बात डाली जा रही है।

उपाध्यक्ष जी, जनता ने इनके तर्क को खारिज कर दिया है। पिछले म्युनिसिपल चुनाव में इसकी व्यवस्था को लेकर मुद्दा बनाया गया था लेकिन चुनाव के बाद इनका सूपड़ा साफ हो गया जो इस बात को साबित करता है कि दिल्ली वालों ने इनके तर्क को नकार दिया, धिक्कार दिया। इसलिये सदन को गुमराह नहीं किया जा सकता और गलत तथ्य देकर राज्य सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता..

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, what do you want from the Government of India?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिये हैं, जो निर्देश दिये हैं, उनकी समय सीमा के भीतर पूर्ति की जाये। इसके अलावा बुनियादी आधारभूत संरचना डिस्ट्रीब्यूशन पर्याप्त मात्रा में बनाना चाहिये। जब तक वह नहीं बनती है, तब तक इंटरवीन करके सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति एक्सप्लेन करें। उसके बाद दिल्ली सरकार से सम्पर्क कर उनकी जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, उन्हें ध्यान में रखें, यह सुनिश्चित करें। उसके बाद दिल्ली सरकार से मिलकर यह उपाय ढूंढें जिससे दिल्ली के नागरिकों को राहत मिले। जब तक पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती, एक इंटैरिम व्यवस्था करना, यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है।

डॉ. साहिब सिंह वर्मा (बाहरी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री चतुर्वेदी जी ने सी.एन.जी. के बारे में जो बातें कही हैं, मैं यही कहूंगा कि दोाारोपण करने से काम नहीं चलेगा। हम किसी पर दोा नहीं लगा रहे हैं। जो वास्तविकता है, वह मैं कहूंगा। इन्होंने कहा कि दो साल हो गये थे जब सी.एन,.जी. के बारे में जुलाई में कोर्ट का आर्डर हुआ, उसके बाद उस पर कार्यवाही शुरु की। लेकिन तीन-चार महीने के बाद दिल्ली में सरकार बदल गई। क्या तीन-चार साल तक दिल्ली की सरकार सोती रही? ढाई साल हो गये, कोई मंत्री केन्द्र सरकार के किसी मंत्री से नहीं मिला और न बताया कि कितनी सी.एन.जी. चाहिये। जितने भी पाइंट्स बताये गये, सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने लिखकर दिया कि उसने इतने स्टेशन बनाकर दिये हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन, पाइप लाइन डालने में अड़चनें हैं। मै जानना चाहता हूं कि अगर यहां दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि बैठे हुये हैं, उनकी जानकारी में सारी बातें हैं, कितने साल से इनके मंत्री या मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार के मंत्री से मिले हैं? इन्होंने कितनी बार केन्द्रीय मंत्री से कहा कि इसकी व्यवस्था करनी चाहिये.....

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : कई बार कहा है...

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : उपाध्यक्ष जी, हम इनके बीच में नहीं बोले लेकिन ये हमें बोलने नहीं दे रहे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him speak. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not disturb him.

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कहा गया और अभी कहा जा रहा है कि दिल्ली के यात्रियों पर किराये का भार डाला जायेगा और किराया बढ़ाने की बात चल रही है या सी.एन.जी. का भाव बढ़ गया है, इसलिये कितना किराया बढ़ाया जायेगा? मैं कहना चाहता हूं कि जो डीजल से गाड़ियां चल रही थीं, उस पर प्रति किलोमीटर कितना खर्चा है, जो सी.एन.जी. से गाड़ियां चलती हैं, उस पर प्रति किलोमीटर कितना खर्चा है, किस हिसाब से रेट बढ़ाया जायेगा? जो बसें डीजल से चल रही हैं, जब सी.एन.जी. से चलेंगी, उस वक्त कंजम्पशन प्रति किलोमीटर क्या होगा। जब प्रति किलोमीटर घटा है तो किराया कैसे बढ़ायेंगे? यह आधार कैसे बनेगा? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सी.एन.जी. को आधार मानकर सी.एन.जी. का रेट बढ़ गया, इसलिये किराया बढ़ेगा, यह कहना सर्वथा अनुचित है। दिल्ली के लोगों को धोखा देने की बात है। यह कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली सरकार को इस तरह से बसों के किराये बढ़ाये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि दिल्ली की गरीब और आम जनता बसों में सफर करती है, इसलिये उन पर भार नहीं डालना चाहिये।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल श्री खुराना जी ने उठाया था। संबंधित मंत्री बैठे हुये हैं, वे जवाब दें.।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will get a chance

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली)**:** उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में देश के कोने-कोने से लाखों लोग आते हैं। इसके अलावा दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले गरीब लोग तथा दिल्ली का आम आदमी बसों में सफर करता है। दिल्ली की सरकार सी.एन.जी. के बहाने जनता विरोधी नीति के कारण किराये बढ़ा रही है।

बढ़ने वाले किराये के स्लैब को हमने विस्तार से देखा है। वह पांच रुपये, दस रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये है। अगर इस हिसाब से किराये बढ़ जाते हैं तो दिल्ली के गरीब यात्री इसमें पिस जायेंगे और यह उनके साथ अन्याय होगा। यह ठीक है कि दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार को आपस में मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए, लेकिन इतने अधिक किराये बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। दिल्ली में इतने अधिक यात्री किराये बढ़ाना गरीब लोगों पर बहुत बड़ा अन्याय है, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

डॉ.(श्रीमती) अनिता आर्य (करोल बाग) :उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में सी.एन.जी. की आड़ में दिल्ली सरकार गैरकानूनी तरीके से जो यात्री किराये बढ़ा रही है, यह दिल्ली की जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार है और इस अत्याचार का हम विरोध करते हैं। इसके साथ ही हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली में सी.एन.जी. के अलावा अल्ट्रा लो सल्फर डीजल की बसें चलाने की परमीशन देने के लिए एक बिल संसद में लाया जाए, जिससे कि दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यात्री किराये बढ़ाना बहुत ही गलत बात है। दिल्ली

सरकार डी.टी.सी. का घाटा पूरा करने के लिए जनता पर बोझ डाल रही है। मेरा कहना यह है कि यदि डी.टी.सी. को ठीक किया जाए तो उसमें कोई घाटा नहीं है। यदि दिल्ली सरकार घाटा नहीं रोक सकती तो अपने पास से सब्सिडी दे। परंतु दिल्ली के करोड़ो लोगों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Sir, I am looking towards this issue from a different angle, totally different angle. The Supreme Court has said that the city of Delhi is getting polluted and they have to take some steps to see that this pollution is reduced, and CNG appears to be a solution. If the Executive had taken timely action in this matter, probably it would not have become necessary for the Judiciary to pronounce that something has to be done to save the city. This shows that the Executive at the Union level and maybe the Executive at the other levels could have put their heads together, could have planned and could have done something to see that pollution in the city could have been reduced. That is one angle.

The second angle is that there are two issues involved. One issue relates to the fare of the buses and the second issue relates to the availability of CNG. Now, whether the fare should be increased or not is an issue which has to be independently discussed in the State Legislature itself. If this is not discussed in the State Legislature and this is discussed in the Union Legislature, probably it will appear that we are trespassing into their area. Let them discuss. The Members belonging to the Party which is ruling here are sitting there also. They can raise that issue there.

The question that can be very well discussed on the floor of the House is the availability of CNG. CNG has to be made available by the Government of India. I am not saying that the Government of India can make CNG available within a short time, which is fixed by any other agency. They would also take time. What is lacking in this respect is a perspective planning. We are not paying attention to the fact that because of increasing number of vehicles running on the roads, the cities are getting polluted. There has to be a comprehensive plan to see that this pollution is reduced and the people are saved. Is there any plan? Who has to plan? We are not going to plan for the city of Delhi only. We have to plan for other cities also. We have to plan for the entire country also. If the Government of India does not plan, who will plan? If environment is an important issue and if the Government of India is paying attention to it, why would it not be planned? We would not be saying that the Petroleum Minister has not been able to provide CNG within a short time and all those things. But I am finding fault with the fact that there is no perspective planning, there is no understanding of the fact that if the number of vehicles increases on the road, they will pollute, and there has to be a plan. ...(*Interruptions*)

डॉ. साहिब सिंह वर्मा : उपाध्यक्ष जी, यह क्या कह रहे हैं, अगर यह स्टेट सब्जैक्ट है तो दिल्ली सरकार को इसे स्वयं करना चाहिए और कोई प्लानिंग बनाना चाहिए। इस तरह से तो यह स्टेट सब्जैक्ट की वकालत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस पर वहां डिस्कशन होना चाहिए यहां डिस्कशन नहीं होना चाहिए।

Environment is also a State subject. ...(*Interruptions*) मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप कह रहे थे कि एनवायर्नमेंट भी स्टेट सबजैक्ट है। साढ़े तीन साल से वह सरकार में हैं, उन्होंने इस बारे में आज तक क्या किया? वह क्या कर रहे हैं?â€¦ (व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : If he has finished, I will speak.

I am not apportioning the blame. If it has to be done by the State Government, let it be done by the State Government. If it has to be done by the Union Government for the entire country, let it be done by the Union Government. I am not blaming the hon. Minister sitting here. I am not blaming the Court. I am not blaming the State Government or the State Legislature. But if you do not properly plan and take timely action, this issue can not be solved.

We should not be blaming the Judiciary for issuing such orders if we ourselves, the Members of the Executive and the Members of the Legislature, are not taking any action. We have failed in our duty in understanding the problem, in not preparing the plan and not taking timely action. This is the real problem. Let this real problem be first understood and let us take action together to see that this problem is solved.

We would like to have a response from the hon. Minister. Of course, he is not the Minister for Planning but he is part of the Government. He is responsible for telling us how he would be able to give CNG and all those things. Certainly, we would not burden him with the things that can not be done by him in time but he should tell us what the Government is going to do to solve this problem that is staring us in our face.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : हमारी जनता क्या कहती है वह भी सुनिये। सी.एन.जी. पर हमारे लोग सफर करते हैं, इन लोगों का बस से क्या मतलब? जिसको तकलीफ है उसको सुना जाए। इनके लोग बड़े आदमी हैं, हमारे लोग गरीब आदमी हैं, इसलिए हमारी बात सुनिये।

महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ कि डीजल को हटा दिया जाए और सी.एन.जी. किया जाए, तो सी.एन.जी. को लागू करना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये उसमें विफल रहे और न कोर्ट को समझा सके, न कनविन्स कर सके। इस कारण दो-दो किलोमीटर लंबी लाइनें गाड़ियों की लगती हैं और ड्राइवर हमेशा ऊँघते रहते हैं। सी.एन.जी. के दाम भी अब बढ़ा दिये हैं और रेट बढ़ने की बात है तो उसमें दिल्ली सरकार और भारत सरकार की आपसी राजनैतिक लड़ाई है। सरकार में कुछ मंत्री हो गए बीजेपी के और कुछ नहीं हुए आपसी राजनीति के चलते। जनता को तकलीफ है और इस पर जनता ने चुनावों में अपना गुस्सा दिखा दिया। ऐसा लगता है कि ये लोग आम आदमी को तबाह करके छोड़ेंगे, सी.एन.जी. नहीं देंगे। अगर देंगे तो दाम बढ़ा देंगे। हर हालत में तकलीफ है। यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। सरकार स्पट करे कि गरीब आदमी, मेहनतकश लोग जो बस पर चढ़ते हैं, उनका क्या होगा? मोटर पर चढ़कर - सफारी और बलेरो वगैरह गाड़ी में चढ़कर जो जाते हैं यह उनकी समस्या नहीं है। जो गरीब आदमी बस पर चढ़ता है यह उनकी समस्या है और सरकार उनकी तबाही के लिए यह ाडयंत्र कर रही है। इसलिए सरकार स्पट करे कि बस पर चढ़ने वाले लोगों को कैसे सहूलियत दी जाए?

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right, let us hear the hon. Minister's response now....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramdas Athawale, please resume your seat now....(*Interruptions*)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मैं भी खुराना जी की बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। सी.एन.जी. के रेट बढ़ने से बड़ी समस्या पैदा हुई है। â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Ram Naik's response.*(Interruptions)**

***Not Recorded.**

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी रिस्पॉन्स करने के लिए खड़े हुए हैं। आप खुराना जी को समर्थन दीजिए मगर ऐसे नहीं बोलिये। ...(व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने दिल्ली की दृटि से एक महत्वपूर्ण विाय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं और मैं इस विाय पर थोड़ा राजनीति से परे होकर जो स्थिति है, वह बताना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर इसलिए भी कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं और केवल स्थिति इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में िवचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रेल में आर्डर दिए हैं। उनमें यह कहा है कि इसके साथ जो मिली हुई पार्टीज हैं, जिनमें चाहे दिल्ली सरकार है, भारत सरकार है, इन्द्रप्रस्थ गैस लि. है, उन्होंने 9 मई, 2002 तक इसके बारे में क्या किया है, वह अलग-अलग समस्त जानकारी सर्वोच्च न्यायालय को दें। सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रकार के आदेशों को दृटिगत रखते हुए मैं वस्तुस्थिति बता सकता हूं क्यों कि न्यायालय के आदेश के मुताबिक भारत सरकार भी न्यायालय में शपथपत्र दे देगी। इसलिए इस पर कोई टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं है।

जैसा माननीय सदस्य शिवराज पाटील जी ने कहा कि इसके लिए पर्सपैक्टिव प्लान होना चाहिए। इस समय यानी आज जो स्थिति है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है कि 78 सी.एन.जी. के स्टेशन बनाने चाहिए। अब तक 94 सी.एन.जी. के स्टेशन बनाए गए हैं। दूसरी बात यह थी कि सी.एन.जी. के जो स्टेशन्स हैं, उनकी क्षमता बढ़ानी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि कम्प्रैशर के जरिए ज्यादा शक्ति देने हेतु सी.एन.जी. स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने का भी प्रयास चल रहा है।

तीसरी बात जिसमें बहुत कठिनाई आ रही है वह दिल्ली शहर में पाइपलाइन डालने की है। दिल्ली शहर में 23 किलोमीटर पाइप लाईन डालनी है। इसके लिए अलग-अलग संस्थाओं की ओर से नो ऑब्जैक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी था। इन सर्टिफिकेट्स को लेने की दृटि से सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स हुए, उनके अनुसार हमने दो कमेटियों का निर्माण किया है। एक कमेटी दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में बनाई गई है। उसकी एक मीटिंग भी अभी हो चुकी है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करने में जो कठिनाइयां आती हैं उनमें सबसे ज्यादा कठिनाई की बात यह है कि विभिन्न संस्थाओं से एन.ओ.सी. नहीं मिलते हैं, लेकिन मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विभिन्न संस्थाओं से एन.ओ.सी. और जो क्लीयरेंस लेनी होती है वह क्लीयरेंस मिल गई है और उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली कमेटी की एक बैठक हो चुकी है। उससे यह जानकारी मुझे मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उनमें एक चीज यह है कि आज जो इन्द्रप्रस्थ गैस लि. कंपनी है, वह कंपनी जाइंट वैंचर की है। कभी-कभी माननीय सदस्यों को लगता है कि वह भारत सरकार की कंपनी है या भारत सरकार की पब्लिक अंडरटेकिंग है। मैं बताना चाहता हूं कि वह भारत सरकार की कंपनी नहीं है और न ही भारत सरकार की पब्लिक अंडरटेकिंग है बल्कि वह एक जाइंट वैंचर है जिसमें भारत पैट्रोलियम, गैस अथौरिटी आफ इंडिया लि. और दिल्ली सरकार शामिल हैं। यह अलग बात है कि इसमें दिल्ली सरकार के एक डायरैक्टर भी हैं, लेकिन वे इसकी मीटिंगों में कभी-कभी उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें दिल्ली सरकार की भी भागीदारी है। इसलिए यह समझना चाहिए कि यह स्टेट का मिलाजुला मामला है। अतः इन्द्रप्रस्थ गैस लि. का यदि उस प्रकार से विकास करना है, तो उसके लिए और इनवैस्टमेंट की आवश्यकता है जिसके लिए इन्द्रप्रस्थ गैस लि. को 253 करोड़ रुपए और चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्द्रप्रस्थ गैस लि. से जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि लगभग 250 करोड़ रुपए के एडीशनल इनवैस्टमेंट की आवश्यकता है। इसमें कुछ इक्विटी ये दें, दिल्ली सरकार दे, भारत पैट्रोलियम और गेल दे और शेा पैसा फायनेंश्यल इंस्टीट्यूशन्स से लिया जाए। इस बारे में फायनेंश्यल इंस्टीट्यूशन्स पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने यह कहा है कि इस पैसा से कैसे प्रॉफिट कमाया जाएगा, इस बारे में हमें बताया जाए। इन्द्रप्रस्थ गैस लि. ने इसकी वर्किंग प्लान बना ली है कि जो धन वित्तीय संस्थाओं से लेंगे उससे कैसे मुनाफा कामाया जाएगा। इसमें 250 करोड़ रुपए ज्यादा इनवैस्टमेंट कराकर यह जो अलग-अलग बातें बताईं जैसे कुछ स्टेशन्स की कैपेसिटी बढ़ानी है और कई नए स्टेशन बनाए जाने हैं, वे इस एडीशनल इनवैस्टमेंट से बन सकेंगे।

जहां तक जमीन उपलब्ध कराने का सवाल है, जहां पैट्रोल पम्प अभी उपलब्ध हैं, वहां जो काम करने हैं, जो विकास करना है, वह हम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह काम हम आगे चलकर भी करेंगे।

अब बात आ जाती है कि जो मुद्दा यहां से उठाया गया कि उसमें दाम बढ़ाने की जरूरत है या नहीं। अब दाम बढ़ाने की जरूरत है या नहीं, यह सवाल निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार उसका उत्तर देगी हालांकि यहां बात निकली है तो मैं आपको बता सकता हूं कि डीजल पर कोई बस चलने के बाद जो खर्चा आता है, आज ज्यादातर बसें डीजल पर चल रही हैं, तो अब सी.एन.जी. का दाम बढ़ाने के बाद भी सी.एन.जी. पर बसें चलाना सस्ती हैं। इसलिए डीजल के दाम की तुलना में जब सी.एन.जी. मिलना शुरू होगा तो बसों के जो किराए हैं, वे कम करने की आवश्यकता है। किराए कम करने की दृटि से आप लोगों की जो भावना है, सदन की जो भावना है, उसके बारे में मैं दिल्ली सरकार

को बता दूंगा कि सदन यह चाहता है कि डीजल महंगा है और सी.एन.जी. जो सस्ती है, इसलिए किराए बढ़ाने का प्रयास न करें। सदन की इस भावना के बारे में मैं उनको निश्चित तौर पर बता दूंगा। â€¦ (व्यवधान)

सुप्रीम कोर्ट के सामने नौ मई को हमको एफीडेविट देना है। उस बात को लेकर, जितना संभव है, उतना मैं आपको यहां बता रहा हूं। जहां तक प्रयासों का संबंध है, अब यह प्रयास कितने समय में हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ मर्यादा की बात है। हमने कभी-कभी मजाक में कहा कि कुएं में पानी नहीं होगा तो फिर बाल्टी में पानी कहां से ऊपर आएगा। जितनी गैस उपलब्ध है, मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिये हैं, उस आदेश के जरिये हम देने का प्रयास करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही है। उसे कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा कि अब ट्रांसपोर्ट फ्यूल को प्रधानता देनी चाहिए। इसका मतलब यह होता है कि जहां बिजली बनाने के लिए हम सी.एन.जी. देते हैं, उद्योग के लिए सी.एन.जी. देते हैं, उसे कम करना चाहिए, निकालना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार की कुछ पालिसी के अन्तर्गत बातें उसमें हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने नौ मई को जायेंगे तो इसके बारे में हमारी जो राय है, उसे हम अपने ढंग से बतायेंगे। कुल मिलाकर आज की जो स्थिति है, उसमें अभी जितने वाहन हैं और जितने आने की संभावना के बारे में बताया जाता है, हम यह प्रयास करेंगे कि हम उतने वाहनों को सी.एन.जी. देंगे लेकिन कुछ भी किया, कितना भी किया तब भी दिल्ली वासियों को लम्बी-लम्बी कतार सहन करनी पड़ेगी, ऐसी उसकी स्थिति

बन गयी है। इस स्थिति में से हम सबको मिलकर रास्ता निकालना होगा क्योंकि जब तक उतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता, उस समय तक तकलीफ होगी। लेकिन जहा तक मदन लाल खुराना जी ने जो मुख्य विाय किराया न बढ़ाने के बारे में उठाया है तो मैं ऐसा मानता हूं कि किराये बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सी.एन.जी. के दाम बढ़ाये गये हैं। â€¦ (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : हमारी भावना को, पार्लियामैंट की भावना को दिल्ली

सरकार तक पहुंचाइये और फौरन कहिये की सी.एन.जी. की कीमतें बढ़ने के बावजूद किराए नहीं बढ़ने चाहिए।â€¦ (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सी.एन.जी. पर्याप्त देने की आवश्यकता है, उसके दाम बढ़ाने की क्या आवश्यकता है ? â€¦ (व्यवधान)

श्री राम नाईक : इसलिए मैंने कहा कि कुंए में जितना पानी है, उतना निकालकर देंगे। ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं लेकिन उसकी जो उपलब्धता है। â€¦ (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : कुंए का पानी सूख जायेगा तो सी.एन.जी. कहां से आयेगा, यह सुप्रीम कोर्ट को बताइयेगा। â€¦ (व्यवधान)

श्री राम नाईक : बाकी जगहों से सी.एन.जी. कट करनी पड़ेगी। इस प्रकार की यह बात है। हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। इसमें यह कठिनाई है। â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सी.एन.जी. की कीमत क्यों बढ़ाई गई ? उसका क्या लॉजिक है ? â€¦ (व्यवधान)

श्री राम नाईक : क्या आपको राजनीतिक उत्तर चाहिए ? â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपने राजनीतिक तौर पर ही कहा है। आपने आंकड़े ले लिये कि दाम नहीं बढ़ाने चाहिए लेकिन फिर भी सी.एन.जी. की कीमत क्यों बढ़ाई गई ? â€¦ (व्यवधान)

श्री राम नाईक : इसका राजनीतिक उत्तर यह है कि आप दिल्ली सरकार को पूछ लीजिए कि उनका डायरेक्टर उस मीटिंग में था या नहीं ? â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप यह बताइये कि उस मीटिंग में भारत पैट्रोलियम लिमिटेड का डायरेक्टर था, गैस अथारिटी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर था। ये दोनों तो सरकार के अन्तर्गत हैं। â€¦ (व्यवधान) आप ऐसा मिसलीड मत करिये। Though the Gas Authority of India is a corporation, it is working under the Ministry of Petroleum. How can they deny their responsibility? ...(*Interruptions*)

श्री मदन लाल खुराना : आप आधा सच न कहकर पूरा सच कहिये। â€¦ (व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : I shall check up what the Director of the Delhi Government proposed in the meeting. I demand the Minister to place the minutes of the meeting in the House so that the House should know why the CNG price has been increased.

You please place the minutes of the meetings of Bharat Petroleum and Gas Authority of India on the Table of the House to understand why the price of CNG has been increased and then we will accept it. ...(*Interruptions*)

श्री राम नाईक : इंद्रप्रस्थ गैस ने अपनी कमर्शियल कंसीड्रेशन्स के कारण सी.एन.जी. की कीमत बढ़ाई। उन्होंने जो कीमत बढ़ाई है, उसके बाद भी आज मुम्बई, जहां से गैस आती है या सूरत जहां से गैस का ऐसा उपयोग किया जाता है, में इससे मंहगी सी.एन.जी. है, दिल्ली में उससे सस्ती है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यदि इन्फ्रास्ट्रक्चरल ऐक्टीविटीज़ बढ़ानी होगी तो ज्यादा कैपिटल बनाना होगा और यदि ज्यादा कैपिटल बनाना है तो निश्चित तौर पर तुलना में यदि आप देखेंगे तो 1992 के बाद डीजल, पैट्रोल के दाम कितने बढ़े हैं, उसकी ऐग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन यदि वहां चार गुना बढ़े हैं तो 1992 से सी.एन.जी. का दाम नहीं बढ़ाया गया था। इसलिए पुनर्विचार करके इंद्रप्रस्थ गैस ने कमर्शियल कंसीड्रेशन्स के तौर पर दाम बढ़ाए। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज भी डीजल से वाहन चलाना सस्ता है और उसके कारण बस फेयर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।â€¦ (व्यवधान)

श्री शिवराज वी.पाटील : दूसरे राज्यों के लिए आपका क्या प्लान है क्योंकि यह प्राबल्म तो आने वाली है।â€¦ (व्यवधान)

श्री राम नाईक : यह सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में भी लिखा है।

श्री शिवराज वी.पाटील : मैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की बात नहीं कर रहा हूं। We are not going to act only according to the order of the Supreme Court.

श्री राम नाईक : मैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का रैफरैंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ शहरों का उल्लेख किया है। अलग-अलग प्रदेश के शहर हैं। हमको इस बारे में प्रदेश की सरकारों से बात करनी होगी, हम बात करेंगे। हमने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कहा है। कुछ राज्य जैसे महाराट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के साथ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वहां की राज्य सरकारों का एम.ओ.यू. साइन हो गया है कि किस प्रकार वहां सी.एन.जी. का उपयोग ऐवेलेबल होगा।

अंत में मैं यह बात बताना चाहता हूं कि जहां गैस की कमी है तो हमने विदेशों से एल.एन.जी. लाने की तैयारी पूरी की है। अब लगभग thirty per cent of that work is over. दहेज में हम पांच मिलियन मीट्रिक टन का एक टर्मिनल बना रहे हैं जो कटार से सी.एन.जी. लाएगा। अगले साल यानी 2003 तक यह पूरा होगा। उस भूमिका में सारा काम हो रहा है। Thirty per cent of the LNG work at Dahej has already been completed. We expect that by the end of the next year it will be completed. When that work is completed, the gas can be made available.

श्री जे.एस.बराड़ (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मिग क्रैश हुआ था।â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, we will extend the time and all the hon. Members will get chance and then we will adjourn. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb now.